न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री बाबू लाल, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
86 / 2022 / वाद पत्र	17.08.2022	19.05.2025

उनवान

1. गोपाल सिंह पुत्र शम्भू सिंह राजपूत निवासी मेवदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा,
2. सज्जन सिंह पुत्र शम्भू सिंह राजपूत निवासी मेवदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3. सुजान सिंह पुत्र शम्भू सिंह राजपूत निवासी मेवदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. श्री कालूसिंह पुत्र प्रभुसिंह राजपूत निवासी मेवदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक, शाखा बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र : कब्जेयाबी आराजियात् हेतु

उपस्थितः– श्री राजेश वर्मा – अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

उनवानी मामले में वाद पत्र बाबत कब्जेयाबी अन्तर्गत धारा 183 आरटीए न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम मेवदा पटवार हल्का अरनिया घोडा भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में वादीगणों के खातेदारी अधिकार की आराजी नं. 147 रकबा 0.26 है, आ.नं. 148 रकबा 0.37 है, आ.नं. 288 रकबा 0.21 है., आ.नं. 292 रकबा 0.35 है., आ.नं. 293 रकबा 0.19 है., आ.नं. 523 / 285 रकबा 0.05 है. कुल किता 06 रकबा 1.43 है. स्थित है। वादीगण अपने खातेदारी अधिकार की आराजियात् पर बहैसियत मालिक के काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण नं. 02 के यहां आराजियात् रहन होने एवं प्रतिवादीगण नं. 03 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये है। जमाबंदी की नकल साथ में पेश है। वाद पत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित आराजियात् पर पड़ौसियों द्वारा कोरोना काल में जबरन आगे बढ़ने के कारण वादीगणों ने अपनी पैरा नं. 01 में वर्णित आराजियात् में से आराजी सं. 147 व 148 की पत्थरगढ़ी कराने हेतु श्रीमान् के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके मुकदमा नं. 30 / 2020 होकर निर्णय अदालत श्रीमान् द्वारा 21.10.2020 को किया। उक्त निर्णय की पालना हेतु श्रीमान् का आदेश भू अभिलेख निरीक्षक, तहनाल के द्वारा दिनांक 08.06.2022 को मौके पर जाकर मौतबीर व्यक्तियों के सामने पत्थरगढी की गई। जिसमें कुल 06 पत्थर गाड़े गये। उक्त पत्थरगढ़ी का पर्चा मौका सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया। पर्चे मौके की नकल साथ में पेश है।

भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी किये जाने के बाद जो पर्चा मौका बनाया गया उसमें वादीगण की आराजी नं. 147 रकबा 0.26 है. में से 0.10 है. पर प्रतिवादीगण नं. 01 का अवैद्यानिक कब्जा पायां गया। जिसे मौके पर्चे में लाईन मार्क से दर्शाया गया। उक्त आराजियात् का कब्जा सक्षम न्यायालय से प्राप्त करने की कार्यवाही करने के

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला–भीलवाड़ा(राज.)

निर्देश दिये गये। इस कारण वादीगणों उक्त आराजी का कब्जा प्राप्त करने हेतु श्रीमान् के यहां वाद पत्र प्रस्तुत कर रहे है। वाद पत्र के पैरा सं. 02 में वर्णित आराजी सं. 147 जो कि वादीगणों के खातेदारी अधिकार की होकर वादीगणों के कब्जे काश्त में चलीं आ रही थी, परन्तु कोरोना काल में प्रतिवादीगण नं. 01 के द्वारा 0.10 है. पर अवैध रूप से अतिचार कर लेने के कारण वादीगणों को आराजी सं. 147 की पूरी उपज प्राप्त नहीं हो पाई और प्रतिवादीगण नं. 01 के कारण वादीगणों को करीब 15000/4 रुपये प्रतिफसल का नुकसान हो रहा है। जो भी वादीगण प्रतिवादीगण नं. 01 से प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगणों के द्वारा प्रतिवादीगण नं. 01 को मौके पर्चे में वर्णित 0.10 है. अवैध अतिचार को रोकने बाबत् दिनांक 15.06.2022 को कहा तो प्रतिवादीगण नं. 01 ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और आमादा फौजदारी हुआ। इस कारण से भी वादीगण कब्जेयाबी का यह वाद पत्र प्रस्तुत कर रहे है। पैरा नं. 03 में वर्णित आराजी श्रीमान् के न्यायक्षेत्र में स्थित होने से व विवाद श्रीमान् के न्यायक्षेत्र में उत्पन्न होने से वाद पत्र श्रीमान् के यहां पेश किया जा रहा है। वादीगण की पैरा नं. 03 में वर्णित आराजी नं. 147 रकबा 0.10 पर कब्जा वर्ष 2020 में कोरोना काल में ही प्रतिवादीगण नं. 01 द्वारा अवैधानिक रूप से करने व उक्त तथ्यों की पुख्ता जानकारी तारीख 08.06.2022 को मौका पर्चा तैयार किये जाने एवं व प्रतिवादीगण नं. 01 के द्वारा दिनांक 15.06.2022 को कब्जा छोड़ने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर देने के कारण वादीगण को वाद हेतु वर्ष 2020 के कोरोना काल से तारीख 08.06.2022, 15. 06.2022 से पैदा होकर जारी है। वादीगण का वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधि. में वर्णित परिशिष्ठ 03 के अनुसार धारा 183 के तहत एक रुपये की कोर्ट फीस पर अन्दर अवधि प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि

1. कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण नं. 01 के खिलाफ कब्जेयाबी आराजियात् की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद पत्र के पैरा नं. 03 में वर्णित आराजी नं. 147 रकबा 0.26 है. में से मौके पर्चे में वर्णित अनुसार प्रतिवादीगण नं. 01 के 0.10 है. रकबे पर से अवैधानिक कब्जे को हटाया जावे एवं कब्जा वादीगणों को सिपुर्द किया जावे।

2. कि वादीगणों के पक्ष में व प्रतिवादीगण नं. 01 के विरूद्ध हर्जाने की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वर्ष 2020 से प्रतिफसल 15000/– रुपये अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये की राशि वादीगणों को प्रतिवादीगण नं. 01 से दिलाये जाने का का आदेश बक्षावें।

3. कि हर्जा खर्चा वाद पत्र व मेहनताना वकील वादीगणों को प्रतिवादीगण नं. 01 से दिलाये जाने का आदेश बक्षावें।

4. कि अन्य कोई दाद जो वादीगण प्रतिवादीगण नं. 01 से प्राप्त कर सके वादीगणों को प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस के तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 18.10.2022 को सम्मद बाद/अदम तामिल नहीं लौटे। दिनांक 02.11.2022 को तहसीलदार शाहपुरा द्वारा सम्मन समयाभाव से तामिल नहीं होन का कारण अंकित करते हुए सम्मन बिना तामिल लौटाए जिनमें तारीख पेशी तब्दील की जाकर पुनः तामिल हेतु भिजवाए गए जो बाद तामिल नियम पेशी दिनांक 14.12.2022 को बाद तामिल प्राप्त हुए। किन्तु बावजूद सम्मन तामिल के कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। बावजदू सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 12.04.2023 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रकरण साक्ष्य वादीगण के नियत किया गया। दिनांक 03.01.2024 को वादी गोपाल सिंह द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। प्रकरण अंकित बहस के नियत किया गया। दिनांक 05.05.2025 को प्रकरण में बहस अभिभाषक वादीगण की एकतरफा सुनी गयी। अभिभाषक वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम मेवदा पटवार हल्का अरनिया घोड़ा भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में आराजी नं. 147 रकबा 0.26 है, आ.

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

नं. 148 रकबा 0.37 है, आ.नं. 288 रकबा 0.21 है., आ.नं. 292 रकबा 0.35 है., आ.नं. 293 रकबा 0.19 है., आ.नं. 523/285 रकबा 0.05 है. कुल किता 06 रकबा 1.43 है. स्थित है। वादीगण द्वारा अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नम्बर 30/2020 होकर निर्णय दिनांक 21.10.2020 को किया जिसकी पालना में भू अभिलेख निरीक्षक तहनाल द्वारा दिनांक 08.06.2022 को पत्थरगढी की जाकर मौका पर्चा तैयार किया गया। मौके पर्चे में वादीगण की आराजियात 147 रकबा 0.26 है0 के 0.10 है0 भूमि पर प्रतिवादीगण नंम्बर 01 का कब्जा पाया गया। अतः वादीगण की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करा कब्जा वादीगण को सिपुर्द किये जाने का आदेश बक्षावें।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श 1 ग्राम मेवदा प0ह0 अरनिया घोड़ा तहसील शाहपुरा की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 12 में आराजी नं. 147 रकबा 0.26 है, आ.नं. 148 रकबा 0.37 है, आ.नं. 288 रकबा 0.21 है., आ.नं. 292 रकबा 0.35 है., आ.नं. 293 रकबा 0.19 है., आ.नं. 523/285 रकबा 0.05 है. कुल किता 06 रकबा 1.43 है. वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड होकर वादीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 2 पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 08.06.2022 अनुसार वादीगण की खातेदारी की आराजियात 147 के 0.10 है0 भाग पर प्रतिवादीगण 01 का कब्जा पाया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी के उपयोग, उपभोग एवं कब्जे काश्त के वैध अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं0 01 द्वारा वादीगण की वादग्रस्त खातेदारी आराजी पर किया गया कब्जा पूर्णतया विधि विरूद्ध होकर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। जिसे बेदखल करवाया जाकर वादीगण कब्जा प्राप्त करने के विधिक रूप से हकदार है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 01 भलीभांति साबित होने से वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 01 को वादीगण की वादग्रस्त खातेदारी आराजी पर विधि विरूद्ध अतिक्रमी मानते हुए इन्हें बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द करवाया जाना मेरे विनम्र अभिमत में आवश्यक, उचित एवं विधिसंगत होगा।

—:: आदेश ::—

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भलिभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मेवदा प0ह0 अरनिया घोड़ा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित वादग्रस्त आराजी सं0 148, 147 रकबा किता 2 रकबा 0.63 है. के पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार प्रतिवादीगण सं. 01 को उपर्युक्त खातेदारी आराजी 147 रकबा 0.26 है0 के 0.10 है0 पर विधि विरूद्ध अतिक्रमी घोषित करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमी को वादग्रस्त आराजी पर से मौके पर भौतिक रूप से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी का पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार कब्जा वादीगण को सुपुर्द करावें। पत्थरगढी मौका पर्चा इस निर्णय का भाग होगा। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

(बाबू लाल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास **श्री बाबू लाल,** (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1. गोपाल सिंह पुत्र शम्भू सिंह राजपूत निवासी मेवदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा,
2. सज्जन सिंह पुत्र शम्भू सिंह राजपूत निवासी मेवदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3. सुजान सिंह पुत्र शम्भू सिंह राजपूत निवासी मेवदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. श्री कालूसिंह पुत्र प्रभुसिंह राजपूत निवासी मेवदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक, शाखा बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र : कब्जेयाबी आराजियात् हेतु

मुकदमा नम्बर 86 सन् 2022 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम मेवदा प0ह0 अरनिया घोड़ा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित वादग्रस्त आराजी सं0 148, 147 रकबा किता 2 रकबा 0.63 है. के पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार प्रतिवादीगण सं. 01 को उपर्युक्त खातेदारी आराजी 147 रकबा 0.26 है0 के 0.10 है0 पर विधि विरूद्ध अतिक्रमी घोषित करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमी को वादग्रस्त आराजी पर से मौके पर भौतिक रूप से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी का पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार कब्जा वादीगण को सुपुर्द करावें। पत्थरगढी मौका पर्चा इस निर्णय का भाग होगा।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 19 माह 05 सन् 2025** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–भीलवाड़ा (राज.)

(बाबू लाल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा